बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
सं०सं०— 09/आ०—09—33/2007(पार्ट—1)

अधिसूचना

डॉ० प्रदीपधारी सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोचाधामन, किशनगंज को अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोप में वर्णित घोर कदाचार और अवज्ञा सरकार के आदेश के अवहेलना दोषी मानते हुए विभागीय संकल्प सं०— 885(9), दिनांक— 15.09.2009 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

संचालन पदाधिकारी ने दिनांक— 13.04.2010 को आरोपी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारो विभागीय कार्यवाही में कभी भी उपस्थित होकर अपना पक्ष नही रखे जाने को आधार मानकर अधिगम समर्पित कर दिया गया।

डॉ० प्रदीपधारी सिन्हा, दिनांक— 05.06.2006 से ही अपने कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थे, तथा दिनांक— 21.08.2009 को उनकी मृत्यु हो गयी।

अतः उनकी मृत्यु दिनांक— 21.08.2009 के बाद उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन संबंधी निर्गत संकल्प सं०— 885(9), दिनांक— 15.09.2009 अप्रासांगिक हो जाता है।

स्व० डॉ० प्रदीपधारी सिन्हा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही संकल्प को निरस्त करने तथा दिनांक— 04.08.2006 तक की उनकी सेवा जिस तिथि तक कार्यरत थे, को कार्यावधि मानते हुए मृत्यु उपरांत देय लाभ प्रदान करने का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है।

अतः स्व० डॉ० प्रदीपधारी सिन्हा के परिवार को नियमानुसार मृत्यु उपरांत देय लाभ की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/—
सरकार के अवर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— 751 (9) पटना/दिनांक— 20/8/2015

प्रतिलिपि :— महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— आयुक्त पूर्णियॉ प्रमंडल, पूर्णियॉ/उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पूर्णियॉ प्रमंडल, पूर्णियॉ, जिला पदाधिकारी, किशनगंज/सिविल सर्जन, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— स्व० डॉ० प्रदीपधारी सिन्हा, पूर्व चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोचाधामन, किशनगंज सम्प्रति पत्नी श्रीमती रीता सिन्हा, भारत ब्लड बैंक, चन्द्रा निकेतन, धरहरा कोठी, चूड़ी बाजार, कदमकुऑ, पटना—03 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी— 02, 03, 05, 07, 08, 10 एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

19/8

सरकार के अवर सचिव